# राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 165वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 165वीं बैठक दिनांक 21/02/2024 को अपरान्ह 03:00 बजे संपन्न हुई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–1** **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 164वीं बैठक दिनांक 01/02/2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 164वीं बैठक दिनांक 01/02/2024 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–2** **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्याकंन समिति, छत्तीसगढ़ की 500वीं, 501वीं एवं 502वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/12/2023, 12/12/2023 एवं 13/12/2023 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री शिव शंकर मिनरल्स (हरदी डोलोमाईट माईन, प्रो.– श्रीमती शोभा अग्रवाल), ग्राम–हरदी, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2675)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | टी.ओ.आर. – 445501 एवं 23/09/2023 | |
| खदान का प्रकार | डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान | संचालित |

| | | |
|---|---|---|
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 3.966 हेक्टेयर एवं 94,501 टन प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | पार्ट ऑफ 76/1 एवं 41 | |
| भू–स्वामित्व | शासकीय भूमि | |
| बैठक का विवरण | 500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री गौरव अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। |
| पूर्व में जारी ई.सी. | खदान का प्रकार – डोलोमाईट (गौण खनिज)<br>खसरा क्रमांक – 76/1 एवं 41<br>क्षेत्रफल – 3.966 हेक्टेयर<br>क्षमता – 94,501 टन प्रतिवर्ष<br>दिनांक – 30/12/2016 | डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर |
| पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन | स्व–प्रमाणित – हाँ | निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 400 नग |
| विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी | दिनांक 22/06/2023<br>2017–18 में 2,850 टन<br>2018–19 में 53,730 टन<br>2019–20 में 29,545 टन<br>2020–21 में 35,270 टन<br>2021–22 में 40,440 टन<br>2022–23 में 70,880 टन | अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत हरदी<br>दिनांक 20/11/2014 | |
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 04/11/2016 | |
| 500 मीटर | दिनांक 10/08/2023 | कुल 11 खदानें, क्षेत्रफल 164.687 हेक्टेयर |
| 200 मीटर | दिनांक 10/08/2023 | प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। |
| लीज डीड | वर्तमान लीज धारक – मेसर्स श्री शिवशंकर मिनरल्स, प्रो.– श्रीमती शोभा अग्रवाल<br>अवधि – दिनांक 17/11/1995 से 16/11/2045 तक। | पूर्व लीज धारक – मेसर्स श्री शिवशंकर मिनरल्स प्रो.–श्री गोवर्धन अग्रवाल<br>मृत्यु पश्चात् लीज डीड हस्तांतरण– दिनांक 24/09/2018 |
| वन विभाग एन.ओ.सी. | आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–हिर्री, खसरा क्रमांक 62/1, क्षेत्रफल 1.78 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध।<br>वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 08/02/2023<br>वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी – 15.9 कि.मी. | प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 3.036 हेक्टेयर) की अचानकमार जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी – 38 कि.मी. है। |

| | | |
|---|---|---|
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी ग्राम – हरदी 370 मीटर<br>स्कूल ग्राम – हरदी 850 मीटर<br>अस्पताल – बिलासपुर 9.5 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग – 260 मीटर<br>राज्यमार्ग – 29.55 कि.मी. | मनियारी नदी – 4.85 कि.मी.<br>मौसमी नाला – 1.55 कि.मी.<br>तालाब – 570 मीटर<br>नहर – 1.4 कि.मी. |
| **पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड<br>ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिर्जव्स–**<br>जियोलॉजिकल 21,20,790 टन<br>माईनेबल 9,71,237 टन<br>वर्तमान में शेष **रिर्जव्स–**<br>जियोलॉजिकल 18,88,075 टन<br>माईनेबल 7,38,522 टन<br>प्रस्तावित गहराई 31 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 3 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 3 मीटर<br>संभावित आयु 12 वर्ष<br>स्थापित क्रशर – नहीं<br>वर्तमान में प्रस्तावित क्रशर – नहीं | **वर्षवार उत्खनन**<br>प्रथम 29,700 टन<br>द्वितीय 60,075 टन<br>तृतीय 77,625 टन<br>चतुर्थ 91,800 टन<br>पंचम 94,500 टन<br>षष्टम 94,500 टन<br>सप्तम 94,501 टन<br>अष्टम 94,500 टन<br>नवम 94,501 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 5,000 वर्गमीटर | उत्खनित – हाँ<br>माईनिंग प्लान में उल्लेख–नहीं |
| **ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | मोटाई – 1 मीटर<br>मात्रा – 7,200 घनमीटर | ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 8 घनमीटर<br>स्त्रोत – भू–जल | संबंधित विभाग/शाखा से एन.ओ.सी. – सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,383 नग किया जाना है। | वर्तमान वृक्षारोपण – 400 नग<br>शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 983 नग |
| **श्रेणी** | बी1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 168.653 हेक्टेयर है। |

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 18 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया गया।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक

कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   **"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   a) **Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   b) **If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from April 2023 to till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the revised approved quarry plan incorporating the mined out area in safety zone.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. **मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.– श्रीमती मिंकी अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1849)**

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | टी.ओ.आर. – 69850 एवं 07/12/2021<br>ई.सी. – 446882 एवं 05/10/2023 | फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट |
| खदान का प्रकार | चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान | प्रस्तावित |
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 1.71 हेक्टेयर एवं 40,836.6 टन (16,334.64 घनमीटर) प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | 543/13, 544/3, 544/1, 545/1 एवं 545/2 | |
| भू–स्वामित्व | निजी भूमि, प्रो.– श्रीमती मिंकी अग्रवाल | आवेदक |
| बैठक का विवरण | 500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री मनीष अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार – डॉ. देव नारायण, मेसर्स अल्ट्रा–टेक इन्व्हायरोमेन्टल कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) उपस्थित हुये।<br>अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। |
| पूर्व में जारी ई.सी. | पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। | |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत धनसुली<br>दिनांक 24/06/2021 | |
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 11/10/2021 | |
| 500 मीटर | दिनांक 29/10/2021 | कुल 47 खदानें, रकबा 72.87 हेक्टेयर है। |
| 200 मीटर | दिनांक 29/10/2021 | प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। |
| एल.ओ.आई. | एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.– श्रीमती मिंकी अग्रवाल)<br>दिनांक –26/08/2021<br>वैधता अवधि –1 वर्ष | वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 28/10/2022<br>वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है। |
| वन विभाग एन.ओ.सी. | वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 06/04/2022<br>वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी – 250 मीटर से अधिक | 10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी ग्राम – धनसुली 830 मीटर<br>स्कूल ग्राम – धनसुली 1 कि.मी.<br>अस्पताल तिल्दा 16.5 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग – 17.75 कि.मी.<br>राज्यमार्ग – 1.1 कि.मी. | तालाब – 1.4 कि.मी<br>नहर – 470 मीटर<br>खारून नदी – 21.85 कि.मी.<br>बांध – 850 मीटर<br>मौसमी नाला – 1.3 कि.मी. |
| **पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड<br>ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिर्जव्स –**<br>जियोलॉजिकल 8,12,250 टन<br>माईनेबल 3,38,837 टन<br>रिकव्हरेबल 3,32,060 टन<br>प्रस्तावित गहराई 20 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 3 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 3 मीटर<br>संभावित आयु 10 वर्ष<br>प्रस्तावित क्रशर – नहीं | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>प्रथम 40,670.00 टन<br>द्वितीय 40,807.20 टन<br>तृतीय 40,792.50 टन<br>चतुर्थ 40,836.60 टन<br>पंचम 40,829.25 टन<br>षष्ठम 40,057.50 टन<br>सप्तम 40,108.95 टन<br>अष्टम 40,084.45 टन<br>नवम 3,959.20 टन<br>दशम 3,915.10 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,747 वर्गमीटर | उत्खनित – नहीं |
| **ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | ऊपरी मिट्टी मोटाई – 0.25 मीटर<br>मात्रा – 3,088.25 घनमीटर<br>**ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –**<br>1,664 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।<br>शेष 1,424 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 543/13, रकबा 0.5356 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित। | ओव्हर बर्डन मोटाई – 0.75 मीटर<br>मात्रा – 9,264.75 घनमीटर<br>**ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –**<br>आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को कॉन्सेप्चुअल स्टेज में खदान के पुनःभराव हेतु लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 543/13, रकबा 0.5356 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन<br>स्त्रोत – भू–जल | संबंधित विभाग/शाखा से एन.ओ.सी. – सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 942 नग किया जाना है। | प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 11,24,000 रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| **जारी टी.ओ.आर.** | क्रमांक 856, दिनांक 26/08/2022 | 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) |
| **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** | मॉनिटरिंग–दिसंबर 2021 से मार्च 2022<br>गुणवत्ता मापन स्थलः<br>परिवेशीय वायु – 12<br>भू–जल – 05<br>सतही जल – 05<br>ध्वनि स्तर – 12<br>मिट्टी के नमूने – 12<br>$PM_{2.5}$ – 10 से 38 $\mu g/m^3$<br>$PM_{10}$ – 43 से 75 $\mu g/m^3$<br>$SO_2$ – 05 से 11 $\mu g/m^3$<br>$NO_2$ – 09 से 18 $\mu g/m^3$<br>Noise level - dB (A)<br>Day $L_{eq}$ – 50.2 से 58.4<br>Night $L_{eq}$ – 42.5 से 47.2 | गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है। |
| **पी.सी.यू. की गणना** | **लोकल टार रोड हेतु –**<br>वर्तमान में 112 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.44<br>परियोजना उपरांत 134.66 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.53<br>**राज्यमार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 255.25 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.21<br>परियोजना उपरांत 283.2 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.23 | **लोकल टार रोड हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता C (Good) श्रैणी का है।<br><br>**राज्यमार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता B (Very Good) श्रैणी का है। |
| **जी.एल.सी. की गणना** | $PM_{10}$ का अधिकतम मान 99.43 $\mu g/m^3$, $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान 52.16 $\mu g/m^3$, $SO_2$ का अधिकतम मान 19.19 $\mu g/m^3$ एवं $NO_2$ का अधिकतम मान 29.58 $\mu g/m^3$ है। | निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है। |
| **लोक सुनवाई** | दिनांक 27/06/2023<br>समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे<br>स्थान – ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर | लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 14/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। |
| **लोक सुनवाई** | **मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**<br>1. वृक्षारोपण के लिए क्रशर मालिकों को प्रेरित किया जाए कि पेड़ लगाना जरूरी है।<br>2. खदान में रोजगार के लिए स्थानीय | **निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–**<br>1. खदान की सीमा क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ के साथ नियत अंतराल पर वृक्षारोपण |

| | | |
|---|---|---|
| | लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दिया जाए।<br>3. खदान में ब्लास्टिंग से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कंट्रोलर लगाकर ब्लास्टिंग किया जाए। | किया जाएगा।<br>2. छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा।<br>3. डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर से वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट किया जाएगा। |
| **सी.ई.एम.पी.** | क्लस्टर में कुल 48 खदानें<br>प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि –70,79,000 रूपये | परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता:<br>प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–6,06,000 रूपये |
| **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** | परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत् लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। | परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:–<br>1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।<br>2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।<br>3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।<br>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।<br>5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. |

| | | |
|---|---|---|
| | | में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 74.58 हेक्टेयर है। |

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 49.69 | 2% | 0.99 | Following activities at Nearby, Village- Mura | |
| | | | Plantation around village pond | 1.31 |
| | | | **Total** | **1.31** |

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 54 नग पौधों के लिए राशि 8,100 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,100 रूपये, खाद के लिए राशि 2,800 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 4,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 43,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 88,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मुरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 281, क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.– श्रीमती मिंकी अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी) को ग्राम–धनसुली, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 543/13, 544/3, 544/1, 545/1 एवं 545/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.71 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–40,836 टन (16,334 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स भगवती स्टोन (प्रो.– श्रीमती मिंकी अग्रवाल, धनसुली लाईम स्टोन क्वारी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

**3. मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.– श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मूरा लाईम स्टोन माईन), ग्राम–मूरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1800)**

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | टी.ओ.आर. – 67321 एवं 06/09/2021<br>ई.सी. – 446776 एवं 05/10/2023 | फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट |
| खदान का प्रकार | चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान | प्रस्तावित |
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 1.67 हेक्टेयर एवं 46,496.1 टन प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | 397/2, 397/4, 397/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/13, 395/2 एवं 396/2 | |
| भू–स्वामित्व | निजी भूमि, प्रो.– श्रीमती पुष्पा अग्रवाल | आवेदक |
| बैठक का विवरण | 500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री अजय अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार – डॉ. देव नारायण, मेसर्स अल्ट्रा–टेक इन्व्हायरोमेन्टल कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) उपस्थित हुये।<br>अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। |
| पूर्व में जारी ई.सी. | पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। | |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत मूरा<br>दिनांक 08/10/2020 | |
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 18/08/2021 | |
| 500 मीटर | दिनांक 04/09/2021 | कुल 47 खदानें, रकबा 72.9187 हेक्टेयर |

| | | |
|---|---|---|
| **200 मीटर** | दिनांक 04/09/2021 | प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। |
| **एल.ओ.आई.** | एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.– श्रीमती पुष्पा अग्रवाल)<br>दिनांक – 26/10/2020<br>वैधता अवधि – 1 वर्ष<br>वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 26/10/2021<br>वैधता अवधि– 1 वर्ष | वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 31/10/2022<br>वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है। |
| **वन विभाग एन.ओ.सी.** | वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 06/05/2022<br>वन क्षेत्र से आकाशीय दूरी – 250 मीटर से अधिक | 10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। |
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी ग्राम–मूरा 650 मीटर<br>स्कूल ग्राम–मूरा 850 मीटर<br>अस्पताल सारागांव 8 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग–18 कि.मी.<br>राज्यमार्ग – 2.45 कि.मी. | नाला 680 मीटर<br>तालाब 210 मीटर<br>नहर 850 मीटर<br>खारून नदी 22.6 कि.मी. |
| **पारिस्थितिकीय /जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड<br>ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिजर्व्स –**<br>जियोलॉजिकल 7,93,250 टन<br>माईनेबल 3,28,232 टन<br>रिकव्हरेबल 3,21,667 टन<br>प्रस्तावित गहराई 20 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 3 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 3 मीटर<br>संभावित आयु 10 वर्ष<br>प्रस्तावित क्रशर – नहीं | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>प्रथम 41,282.50 टन<br>द्वितीय 43,433.60 टन<br>तृतीय 45,437.70 टन<br>चतुर्थ 44,467.50 टन<br>पंचम 46,496.10 टन<br>षष्ठम 44,430.75 टन<br>सप्तम 42,321.30 टन<br>अष्टम 5,145.00 टन<br>नवम 4,410.00 टन<br>दशम 4,243.40 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 5,186 वर्गमीटर | उत्खनित – नहीं है। |
| **ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | ऊपरी मिट्टी मोटाई – 0.25 मीटर<br>मात्रा – 2,878.5 घनमीटर<br>**ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –**<br>1,818 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। | ओव्हर बर्डन मोटाई – 0.75 मीटर<br>मात्रा – 8,635.5 घनमीटर<br>**ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –**<br>आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा |

| | | |
|---|---|---|
| | शेष 1,061 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 377/1 एवं 377/2, रकबा 0.384 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित। | एवं शेष ओव्हर बर्डन को कॉन्सेप्चुअल स्टेज में खदान के पुनःभराव हेतु लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि (पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 377/1 एवं 377/2, रकबा 0.384 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन<br>स्त्रोत – भू–जल | सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,032 नग किया जाना है। | प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–11,99,000 रूपये |
| **जारी टी.ओ.आर.** | क्रमांक 1241, दिनांक 02/11/2022 | 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) |
| **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** | मॉनिटरिंग– 10 दिसंबर 2021 से 09 मार्च 2022<br>गुणवत्ता मापन स्थलः<br>परिवेशीय वायु – 12<br>भू–जल – 05<br>सतही जल – 05<br>ध्वनि स्तर – 12<br>मिट्टी के नमूने – 12<br>$PM_{2.5}$ – 10 से 38 $\mu g/m^3$<br>$PM_{10}$ – 43 से 75 $\mu g/m^3$<br>$SO_2$ – 05 से 11 $\mu g/m^3$<br>$NO_2$ – 09 से 18 $\mu g/m^3$<br>Noise level - dB (A)<br>Day $L_{eq}$ – 50.2 से 58.4<br>Night $L_{eq}$ – 42.5 से 47.2 | उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक सीमा के भीतर है। |
| **पी.सी.यू. की गणना** | **लोकल टार रोड हेतु –**<br>वर्तमान में 112 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.44<br>परियोजना उपरांत 134.66 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.53<br>**राज्यमार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 255.25 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.21<br>परियोजना उपरांत 283.2 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.23 | **लोकल टार रोड हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता C (Good) श्रैणी का है।<br>**राज्यमार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता B (Very Good) श्रैणी का है। |
| **जी.एल.सी. की गणना** | $PM_{10}$ का अधिकतम मान 99.43 $\mu g/m^3$, $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान 52.16 $\mu g/m^3$, $SO_2$ का अधिकतम मान 19.19 $\mu g/m^3$ एवं $NO_2$ का अधिकतम मान 29.58 $\mu g/m^3$ है। | निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है। |
| **लोक सुनवाई** | दिनांक 27/06/2023<br>समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे | लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण |

| | | |
|---|---|---|
| | स्थान –ग्राम पंचायत भवन, ग्राम–धनसुली तहसील– तिल्दा, जिला– रायपुर | मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 14/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। |
| **लोक सुनवाई** | **मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**<br>1. वृक्षारोपण के लिए क्रशर मालिकों को प्रेरित किया जाए कि पेड़ लगाना जरूरी है।<br>2. खदान में रोजगार के लिए स्थानीय लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दिया जाए।<br>3. खदान में ब्लास्टिंग से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कंट्रोलर लगाकर ब्लास्टिंग किया जाए। | **निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–**<br>1. खदान की सीमा क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण तथा सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ के साथ नियत अंतराल पर वृक्षारोपण किया जाएगा।<br>2. छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार, योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जाएगा।<br>3. डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर से वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित विस्फोट किया जाएगा। |
| **सी.ई.एम.पी.** | क्लस्टर में कुल 48 खदानें<br>प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि –70,79,000 रूपये | परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता:<br>प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–5,91,000 रूपये |
| **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** | परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत् लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized | परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:–<br>1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।<br>2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।<br>3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| | Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। | है।<br>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।<br>5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 74.58 हेक्टेयर है। |

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Particulars** | **CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)** |
| 41.71 | 2% | 0.83 | Following activities at Nearby, **Village- Mura** | |
| | | | Plantation around village pond | 1.12 |
| | | | **Total** | **1.12** |

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 46 नग पौधों के लिए राशि 6,900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,900 रूपये, खाद के लिए राशि 2,300 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 16,900 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 3,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 36,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 76,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मूरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 281, क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की

सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   **b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो.– श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मूरा लाईम स्टोन माईन) को ग्राम–मूरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 397/2, 397/4, 397/17, 639/2, 639/7, 639/11, 639/13, 395/2 एवं 396/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.67 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–46,496 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बंसल स्टोन (प्रो. – श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, मूरा लाईम स्टोन माईन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी

अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

**4. मेसर्स गोयल कन्सट्रक्शन कंपनी (अकोलडीह खपरी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर– श्री राम अवतार अग्रवाल), ग्राम–अकोलडीह खपरी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2679)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया वि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | टी.ओ.आर. – 436953 एवं 30/09/2023 | |
| खदान का प्रकार | चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान | संचालित |
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 4 हेक्टेयर एवं 69,997.78 टन प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5 | |
| बैठक का विवरण | 500वीं बैठक दिनांक 11 /12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री शिवकुमार अग्रवाल, पार्टनर उपस्थित हुये।<br>पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। |
| भू–स्वामित्व | निजी भूमि<br>खसरा क्रमांक 650/1 श्री रामावतार योगेश अग्रवाल (एच.यू.एफ.)<br>खसरा क्रमांक 650/2 श्री निरंजन लाल – प्रकाश लाल (एच.यू.एफ.) कर्ता प्रकाश लाल अग्रवाल<br>खसरा क्रमांक 650/3 श्री निरंजन लाल, शिवकुमार अग्रवाल (एच.यू.एफ.) कर्ता शिवकुमार<br>खसरा क्रमांक 650/4 श्री निरंजन लाल, नरसिंग लाल अग्रवाल<br>खसरा क्रमांक 650/5 श्री नरसिंग अग्रवाल | सहमति पत्र प्राप्त |
| पूर्व में जारी ई.सी. | खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान<br>खसरा क्रमांक – 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5<br>क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर<br>क्षमता – 70,000 टन<br>दिनांक – 26/02/2018<br>वैधता अवधि – 5 वर्ष | डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायपुर<br>भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध है। |
| पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन | स्व–प्रमाणित – हाँ | निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 550 नग |
| विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी | अप्राप्त | समिति का मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत धनसुली<br>दिनांक 23/02/2018 | उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में। |

| | | |
|---|---|---|
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 15/02/2023 | |
| 500 मीटर | दिनांक 18/10/2023 | कुल 87 खदानें, क्षेत्रफल – 173.56 हेक्टेयर है। |
| 200 मीटर | दिनांक 18/10/2023 | 200 मीटर के भीतर पश्चिम दिशा में नाला है। |
| लीज डीड | लीज धारक – श्री राम अवतार अग्रवाल<br>अवधि–27/03/2018 से 26/03/2048 | |
| वन विभाग एन.ओ.सी. | आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी, खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673, क्षेत्रफल 3.19 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध।<br>कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 13/12/2022 | मोहरेंगा नेचर सफारी – 18 कि.मी.<br>बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य – 66 कि.मी.<br>कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान – 282 कि.मी.<br>प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर) की बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी – 43 कि.मी.<br>10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। |
| महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी | आबादी ग्राम–अकोलडीह खपरी 1 कि.मी.<br>स्कूल ग्राम – बहनाकाड़ी 1.8 कि.मी.<br>अस्पताल – रायपुर 4.5 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग – 6.65 कि.मी.<br>राज्यमार्ग – 4.6 कि.मी. | खारून नदी – 19.3 कि.मी.<br>नाला – 60 मीटर<br>तालाब – 1.3 कि.मी.<br>नहर – 2 कि.मी.<br>रोड ब्रिज – 1.2 कि.मी. |
| पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| खनन संपदा एवं खनन का विवरण | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड<br>ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिजर्व्स –**<br>जियोलॉजिकल 26,57,812 टन<br>माईनेबल 13,69,526 टन<br>रिकव्हरेबल 13,01,049 टन<br>प्रस्तावित गहराई 30 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 3 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 3 मीटर<br>संभावित आयु 19 वर्ष<br>प्रस्तावित क्रशर – नहीं | **वर्षवार उत्खनन**<br>2023–24 में 69,997.78 टन<br>2024–25 में 69,976.41 टन<br>2025–26 में 69,967.50 टन<br>2026–27 में 69,931.88 टन<br>2027–28 में 69,981.75 टन |

| | | |
|---|---|---|
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 7,606 वर्गमीटर | उत्खनित – नहीं |
| **ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | ऊपरी मिट्टी की मोटाई – 0.25 मीटर<br>मात्रा – 6,223.5 घनमीटर<br>**ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –**<br>2,667 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।<br>शेष 3,556.5 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 650/1, क्षेत्रफल 1.06 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित। | ओव्हर बर्डन की मोटाई – 0.5 मीटर<br>मात्रा – 12,474 घनमीटर<br>**ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –**<br>आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 650/1, क्षेत्रफल 1.06 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 8 घनमीटर<br>स्त्रोत – भू–जल | सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,515 नग किया जाना है। | वर्तमान वृक्षारोपण – 550 नग<br>शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 965 नग |
| **श्रेणी** | बी1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 177.56 हेक्टेयर है। |

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्लस्टर में स्थित अन्य खदान मेसर्स महामाया मिनरल्स, रकबा 3.88 हेक्टेयर, ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर द्वारा पूर्व में बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसंबर 2021 से 15 मार्च 2022 के मध्य किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई. आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार "The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC." का उल्लेख है। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता 3 वर्ष हेतु होगी।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र के उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र में 7,500 वर्गमीटर क्षेत्र 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

5. **मेसर्स गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री शिव कुमार अग्रवाल, अकोलडीह खपरी एण्ड बहनाकाड़ी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–अकोलडीह खपरी एवं बहनाकाड़ी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2680)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | टी.ओ.आर. – 436872 एवं 30/09/2023 | |
| खदान का प्रकार | चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान | संचालित |
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 4.4 हेक्टेयर एवं 79,978.13 टन प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | 652, 653, 4/1, 4/2, 3 एवं 655 | |
| बैठक का विवरण | 500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री शिव कुमार अग्रवाल, पार्टनर उपस्थित हुये।<br>पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। |
| भू–स्वामित्व | निजी भूमि<br>खसरा क्रमांक 652, 653 व 655 श्री रामअवतार अग्रवाल, पार्टनर गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी<br>खसरा क्रमांक 4/1 श्री शिवकुमार अग्रवाल<br>खसरा क्रमांक 4/2 व 3 श्रीमती मीना अग्रवाल | सहमति पत्र प्राप्त |
| पूर्व में जारी ई.सी. | खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान<br>खसरा क्रमांक – 652, 653, 4/1, 4/2, 3 एवं 655<br>क्षेत्रफल – 4.4 हेक्टेयर<br>क्षमता –80,000 टन प्रतिवर्ष<br>दिनांक – 26/02/2018<br>वैधता अवधि – 5 वर्ष | डी.ई.आई.ए.ए., जिला– रायपुर<br>भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार Corona Virus(COVID-19) के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 25/02/2024 तक वैध है। |
| पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन | स्व–प्रमाणित – हाँ | निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 550 नग |
| विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी | अप्राप्त | समिति का मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत बहनाकाड़ी<br>दिनांक 17/01/2018 व 28/02/2018 | उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में। |
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 15/02/2023 | |
| 500 मीटर | दिनांक 18/10/2023 | कुल 87 खदानें, क्षेत्रफल – 173.16 हेक्टेयर है। |
| 200 मीटर | दिनांक 18/10/2023 | 200 मीटर के भीतर पश्चिम, पूर्व एवं उत्तर दिशा में नाला है तथा दक्षिण दिशा में कच्चा रास्ता है। |

| | | |
|---|---|---|
| **लीज डीड** | लीज धारक – श्री शिवकुमार अग्रवाल<br>अवधि–27/03/2018 से 26/03/2048 | |
| **वन विभाग एन.ओ.सी.** | आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–अकोलडीह खपरी, खसरा क्रमांक 671, 672 एवं 673, क्षेत्रफल 3.19 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध।<br>कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, रायपुर द्वारा जारी दिनांक 13/12/2022 | मोहरेंगा नेचर सफारी – 18 कि.मी.<br>बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य – 66 कि.मी.<br>कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान – 282 कि.मी.<br>प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर) की बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी – 43 कि.मी.<br>10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। |
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी ग्राम–बहनाकाड़ी 1.3 कि.मी., अकोलडीह खपरी 1.2 कि.मी.<br>स्कूल – बहनाकाड़ी 1.5 कि.मी.<br>अस्पताल – रायपुर 4.5 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग – 6.25 कि.मी.<br>राज्यमार्ग – 4.6 कि.मी. | तालाब – 1.3 कि.मी.<br>नहर – 2.1 कि.मी.<br>खारून नदी – 19.3 कि.मी.<br>नाला–1.35 कि.मी.<br>कुरूद रिजर्वायर – 2.4 कि.मी. |
| **पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड<br>ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिजर्व्स –**<br>जियोलॉजिकल 29,37,843 टन<br>माईनेबल 12,16,884 टन<br>रिकव्हरेबल 11,56,040 टन<br>प्रस्तावित गहराई 30 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 3 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 3 मीटर<br>संभावित आयु 30 वर्ष<br>प्रस्तावित क्रशर का क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>2023–24 में 79,889.06 टन<br>2024–25 में 79,755.47 टन<br>2025–26 में 79,978.13 टन<br>2026–27 में 79,800.00 टन<br>2027–28 में 79,906.88 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 9,350 वर्गमीटर | उत्खनित – हाँ (1,480 वर्गमीटर, 15 मीटर गहराई एवं 1,115 वर्गमीटर, 15 मीटर की गहराई तक)<br>रेस्टोरेशन प्लान – हाँ |

| | | |
|---|---|---|
| | | माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ |
| **गैर माईनिंग** | 1. क्षेत्रफल – 1,000 वर्गमीटर<br>क्षेत्र छोड़ने का कारण – क्रशर<br>2. क्षेत्रफल – 1,120 वर्गमीटर<br>क्षेत्र छोड़ने का कारण – संकीर्ण क्षेत्र<br>3. क्षेत्रफल – 3,170 वर्गमीटर<br>क्षेत्र छोड़ने का कारण – संकीर्ण क्षेत्र<br>4. क्षेत्रफल – 2,085 वर्गमीटर<br>क्षेत्र छोड़ने का कारण – संकीर्ण क्षेत्र | माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ |
| **ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | मोटाई – 0.25 मीटर<br>मात्रा – 6,818.75 घनमीटर<br>**ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –**<br>3,279 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।<br>शेष 3,540 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 652(पार्ट), क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित। | ओव्हर बर्डन – 0.5 मीटर<br>मात्रा – 13,637.50 घनमीटर<br>**ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –**<br>आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प निर्माण, पहुंच मार्ग के रख–रखाव आदि में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 652(पार्ट), क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 8 घनमीटर<br>स्त्रोत – भू–जल | सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,863 नग किया जाना है। | वर्तमान वृक्षारोपण – 450 नग<br>शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण –1,413 नग |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 177.56 हेक्टेयर है। |

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त क्लस्टर में स्थित अन्य खदान मेसर्स महामाया मिनरल्स, रकबा 3.88 हेक्टेयर, ग्राम–धनसुली, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर द्वारा पूर्व में बेसलाइन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसंबर 2021 से 15 मार्च 2022 के मध्य किया जा चुका है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई. आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार "The baseline data and Public Hearing shall not be more than three years old at the time of submission of application for consideration of EC." का उल्लेख है। उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार एकत्रित बेसलाईन डाटा की वैधता 3 वर्ष हेतु होगी।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि लीज क्षेत्र में कुल 3,200 वर्गमीटर क्षेत्र 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसमें से प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के 2,595 वर्गमीटर, 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है एवं लीज क्षेत्र के उत्खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र में 605 वर्गमीटर क्षेत्र 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अद्यतन स्थिति

अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   **"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   **a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   **b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail to till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project

proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

6. **मेसर्स भिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री राजेश कुमार सिंघानिया), ग्राम–भिनपुरी, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1961)**

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | टी.ओ.आर. – 73397 एवं 09/03/2022<br>ई.सी. – 446983 एवं 05/10/2023 | फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट |
| खदान का प्रकार | चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान | प्रस्तावित |
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 2.452 हेक्टेयर एवं 96,795 टन प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | 44/1, 44/2, 44/3 एवं 43 | |
| भू–स्वामित्व | प्रो.– श्री राजेश कुमार सिंघानिया | आवेदक |
| बैठक का विवरण | 501वीं बैठक दिनांक 12/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री प्रतीक सिंघानिया, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार – डॉ. देव नारायण, मेसर्स अल्ट्रा–टेक इन्व्हायरोमेन्टल कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) उपस्थित हुये।<br>अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। |
| पूर्व में जारी ई.सी. | पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। | |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत–राम्हेपुर<br>दिनांक 27/11/2021 | |
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 04/03/2022 | |
| 500 मीटर | दिनांक 26/08/2022 | 7 खदानें, रकबा 10.603 हेक्टेयर |
| 200 मीटर | दिनांक 25/03/2022 | प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। |
| एल.ओ.आई. | एल.ओ.आई. धारक – श्री राजेश कुमार सिंघानिया<br>दिनांक – 29/09/2021<br>वैधता अवधि – 1 वर्ष | वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 30/09/2022<br>वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है। |
| वन विभाग एन.ओ.सी. | वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल कवर्धा द्वारा जारी दिनांक 25/08/2020 | वन क्षेत्र से दूरी – 10 कि.मी. |
| महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी | आबादी ग्राम – भिनपुरी 1.1 कि.मी.<br>स्कूल ग्राम – भिनपुरी 1.2 कि.मी.<br>अस्पताल – लोहारा 1.4 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग – 22.9 कि.मी.<br>राज्यमार्ग – 970 मीटर | मौसमी नाला से लगी हुई है।<br>कर्रा नदी – 3.65 कि.मी.<br>सिंचाई नहर – 2.2 कि.मी.<br>तालाब – 570 मीटर<br>बिरखा डेम – 6.15 कि.मी. |

| | | |
|---|---|---|
| **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड<br>ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिर्जव्स –**<br>जियोलॉजिकल 10,42,100 टन<br>माईनेबल 4,83,437 टन<br>रिकव्हरेबल 4,59,265 टन<br>प्रस्तावित गहराई 18 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 3 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 3 मीटर<br>संभावित आयु 30 वर्ष<br>क्रशर प्रस्तावित – नहीं | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>प्रथम 96,690 टन<br>द्वितीय 96,675 टन<br>तृतीय 96,795 टन<br>चतुर्थ 96,735 टन<br>पंचम 96,540 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 5,775 वर्गमीटर | उत्खनित – हाँ<br>माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ<br>पुर्नभरण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है। |
| **गैर माईनिंग** | क्षेत्रफल – 2,100 वर्गमीटर<br>क्षेत्र छोड़ने का कारण – मौसमी नाला से लगी हुई होने के कारण कुल 50 मीटर की दूरी तक को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। | माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ |
| **ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | ऊपरी मिट्टी मोटाई – 1 मीटर<br>मात्रा – 16,645 घनमीटर | **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –**<br>2,025 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। 4,200 घनमीटर – लीज के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित। शेष 10,420 घनमीटर – लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 4/4, क्षेत्रफल 0.727 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन<br>स्त्रोत – माईन पीट एवं बोरवेल | खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना है। सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है। |

| | | |
|---|---|---|
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण –1,146 नग किया जाना है। | प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,55,000 रूपये |
| **जारी टी.ओ.आर.** | क्रमांक 824, दिनांक 26/08/2022 | 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) |
| **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** | मॉनिटरिंग – 01 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022<br>गुणवत्ता मापन स्थलः<br>परिवेशीय वायु – 08<br>भू–जल – 04<br>सतही जल – 04<br>ध्वनि स्तर – 08<br>मिट्टी के नमूने – 08<br>$PM_{2.5}$ – 31 से 40 $\mu g/m^3$<br>$PM_{10}$ – 61 से 70 $\mu g/m^3$<br>$SO_2$ – 05 से 16 $\mu g/m^3$<br>$NO_2$ – 11 से 27 $\mu g/m^3$<br>**Noise level - dB (A)**<br>Day $L_{eq}$ – 52.3 से 55.4 **dB(A)**<br>Night $L_{eq}$ – 42.5 से 45.4 **dB(A)** | मॉनिटरिंग हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है। |
| **पी.सी.यू. की गणना** | **राज्यमार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 281.25 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.31<br>परियोजना उपरांत 318.25 पी.सी.यू./दिन<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.35 | **राज्यमार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता B (Very Good) श्रेणी का है। |
| **जी.एल.सी. की गणना** | $PM_{10}$ का अधिकतम मान 97.6 $\mu g/m^3$, $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान 58.82 $\mu g/m^3$, $SO_2$ का अधिकतम मान 16.99 $\mu g/m^3$ एवं $NO_2$ का अधिकतम मान 29.70 $\mu g/m^3$ है। | निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है। |
| **लोक सुनवाई** | दिनांक 07/07/2023<br>समय – अपरान्ह 12:30 बजे<br>स्थान – ग्राम पंचायत भवन राम्हेपुर, तहसील – सहसपुर लोहारा, जिला – कबीरधाम | लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 24/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। |
| **लोक सुनवाई** | **मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**<br>i. ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिये।<br>ii. ब्लास्टिंग कम किया जाये, जिससे आसपास के घरों में दरारें न आये।<br>iii. इस क्षेत्र में खदानों से अत्यधिक धूल उड़ता है, इसलिए जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। | **निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–**<br>i. छत्तीसगढ़ शासन की आदर्श पुनर्वास एवं रोजगार नीति के अनुसार योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय ग्रामीणों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया जायेगा।<br>ii. डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर से वैज्ञानिक विधि द्वारा |

| | | |
|---|---|---|
| | | नियमानुसार नियंत्रित विस्फ कराया जायेगा।<br>iii. डस्ट उत्सर्जन के समस्त बिन्दुओं/स्थानों पर हमारे द्वारा नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी। |
| **सी.ई.एम.पी.** | क्लस्टर में कुल 8 खदानें<br>प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,48,85,000 रूपये | परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः<br>प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि– 27,94,000 रूपये |
| **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** | परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। | परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैः–<br>1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।<br>2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।<br>3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।<br>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।<br>5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 13.083 हेक्टेयर है। |

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Particulars** | **CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)** |
| 83.16 | 2% | 1.66 | Following activities at Nearby, **Village-Bhamhantola** | |
| | | | Plantation around village pond | 1.93 |
| | | | **Total** | **1.93** |

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम एवं जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 42 नग पौधों के लिए राशि 6,300 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,300 रूपये, खाद के लिए राशि 2,100 रूपये एवं सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 34,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 48,700 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,400 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत विचारपुर के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम बाम्हनटोला के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 103, क्षेत्रफल 0.64 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. आवेदित खदान एवं क्लस्टर के एक अन्य खदान को सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम पंचायत विचारपुर द्वारा यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 103, क्षेत्रफल 0.64 हेक्टेयर) में तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः दोनों खदानों द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु संयुक्त योजना भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तुत संयुक्त योजना के तहत् 76 नग पौधों के लिए राशि 11,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,400 रूपये, खाद के लिए राशि 3,800 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 61,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 87,600 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,59,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का

कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

**a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

**b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स भिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री राजेश कुमार सिंघानिया) को ग्राम–भिनपुरी, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 44/1, 44/2, 44/3 एवं 43 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.452 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–96,795 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स भिनपुरी लाईम स्टोन क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री राजेश कुमार सिंघानिया) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

**7. मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर–श्री मुकेश बंसल), ग्राम–छितापंडरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1852)**

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | टी.ओ.आर. – 69900 एवं 08/12/2021<br>ई.सी. – 446595 एवं 05/10/2023 | फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट |
| खदान का प्रकार | डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान | प्रस्तावित |
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 3.036 हेक्टेयर एवं 1,50,537 टन प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | 30/5 | |
| भू–स्वामित्व | मेसर्स गुरूश्री इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड फर्म के नाम पर है। | डॉयरेक्टर्स का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार श्री नानक बंसल, श्री मुकेश बंसल, श्री मनमोहन शर्मा एवं श्री संजय यादव डॉयरेक्टर है। |
| बैठक का विवरण | 501वीं बैठक दिनांक 12/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री निर्मल अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार – डॉ. देव नारायण, मेसर्स अल्ट्रा–टेक |

| | | |
|---|---|---|
| | | इन्व्हायरोमेन्टल कंसल्टेंसी लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) उपस्थित हुये।<br>अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। |
| **पूर्व में जारी ई.सी.** | इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। | |
| **ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.** | ग्राम पंचायत–छितापड़रिया<br>दिनांक 26/03/2022 | |
| **उत्खनन योजना अनुमोदन** | दिनांक 02/12/2021 | |
| **500 मीटर** | दिनांक 07/12/2021 | कुल 4 खदानें, रकबा 17.928 हेक्टेयर है। |
| **200 मीटर** | दिनांक 18/08/2022 | नहर – 20 मीटर |
| **एल.ओ.आई.** | एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड<br>दिनांक – 27/12/2019<br>वैधता अवधि – 6 माह | वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 02/09/2021<br>वैधता अवधि – "उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें" का उल्लेख है। |
| **वन विभाग एन.ओ.सी.** | वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 21/02/2022 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। | प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान की वन क्षेत्र से दर्शित दूरी – 1 कि.मी. |
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी ग्राम–छितापंडरिया 500 मीटर<br>स्कूल ग्राम–दर्राभाठा 1.75 कि.मी.<br>अस्पताल बारद्वार 7.4 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. | सोन नदी – 5.5 कि.मी.<br>तालाब – 340 मीटर<br>मौसमी नाला – 1.5 कि.मी.<br>नहर – 20 मीटर |
| **पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिर्जव्स** –<br>जियोलॉजिकल 16,69,744 टन<br>माईनेबल 8,56,460 टन<br>रिकव्हरेबल 8,13,637 टन<br>प्रस्तावित गहराई 30 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 5 मीटर | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>प्रथम 1,50,063 टन<br>द्वितीय 1,50,199 टन<br>तृतीय 1,50,537 टन<br>चतुर्थ 1,50,131 टन<br>पंचम 1,50,266 टन |

| | | |
|---|---|---|
| | बेंच की चौड़ाई 5 मीटर<br>संभावित आयु 5.42 वर्ष<br>क्रशर प्रस्तावित नहीं है। | |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,100 वर्गमीटर | उत्खनित – नहीं |
| **गैर माईनिंग** | क्षेत्रफल – 8,860 वर्गमीटर<br>क्षेत्र छोड़ने का कारण – नहर से 20 मीटर दूर होने के कारण कुल 50 मीटर की दूरी तक को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। | माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ |
| **ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | ऊपरी मिट्टी मोटाई – 0.25 मीटर<br>मात्रा – 4,830 घनमीटर<br>**ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –**<br>2,508 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।<br>शेष 2,322 घनमीटर – लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र (क्षेत्रफल 0.294 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित। | ओव्हर बर्डन की मोटाई – 2.5 मीटर<br>मात्रा – 48,300 घनमीटर<br>**ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –**<br>ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प, हॉल रोड़ निर्माण आदि कार्यों में किया जाएगा, तत्पश्चात् शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन<br>स्त्रोत – माईन पीट एवं बोरवेल<br>सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है। | खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,425 नग किया जाना है। | प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 13,91,000 रूपये |
| **जारी टी.ओ.आर.** | क्रमांक 979, दिनांक 19/09/2022 | 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) |
| **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** | मॉनिटरिंग– 10 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2022<br>गुणवत्ता मापन स्थलः<br>परिवेशीय वायु – 12<br>भू–जल – 06<br>सतही जल – 06<br>ध्वनि स्तर – 11<br>मिट्टी के नमूने – 11<br>$PM_{2.5}$ – 10 से 26 **$\mu g/m^3$**<br>$PM_{10}$ – 48 से 66 **$\mu g/m^3$**<br>$SO_2$ – 05 से 12 **$\mu g/m^3$**<br>$NO_2$ – 9 से 17 **$\mu g/m^3$**<br>**Noise level - dB (A)**<br>Day $L_{eq}$ – 47.30 से 54.30 **dB(A)**<br>Night $L_{eq}$ – 38.30 से 43.10 **dB(A)** | मॉनिटरिंग हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।<br>गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है। |

| | | |
|---|---|---|
| **पी.सी.यू. की गणना** | **बाराद्वार–चांपा मार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 256.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.17<br>परियोजना उपरांत 379.7 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.25<br>**हॉल रोड–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 51.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.206<br>परियोजना उपरांत 147.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.59 | **चांपा–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता B (Very Good) श्रैणी का है।<br><br>**हॉल रोड–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता C (Good) श्रैणी का है। |
| **जी.एल.सी. की गणना** | $PM_{10}$ का अधिकतम मान 83.01 $\mu g/m^3$, $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान 36.82 $\mu g/m^3$, $SO_2$ का अधिकतम मान 12.90 $\mu g/m^3$ एवं $NO_2$ का अधिकतम मान 19.19 $\mu g/m^3$ है। | निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है। |
| **लोक सुनवाई** | दिनांक 30/06/2023<br>समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे<br>स्थान – खेल मैदान छितापड़रिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती | लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। |
| **लोक सुनवाई** | **मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**<br>i. ग्राम वासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।<br>ii. भूमिगत जल, वाटर लेवल नीचे चला गया है। पेयजल की गंभीर समस्या का सामाना करना पड़ रहा है।<br>iii. माइंस में हैवी ब्लास्टिंग होने से घरो में दरारें आ रही हैं।<br>iv. क्षेत्र में धूल के गुब्बार उठ रहें है एवं दुर्घटनाएं हो रही है। | **निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–**<br>i. छ.ग. शासन की आर्दश पुर्नवास एवं रोजगार नीति के तहत योग्यता व अनुभव के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।<br>ii. खदान का संचालन भू–जल स्तर के उपर प्रस्तावित है, अतः भू–जल पर प्रभाव नगण्य होगा।<br>iii. डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से नियत्रिंत ब्लास्टिंग कराया जाएगा।<br>iv. हमारे खदान में फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन वाले स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़को का उचित रख–रखाव, दुर्घटनाओं को कम करने हेतु प्रशिक्षित चालक रखें जायेंगें। |
| **सी.ई.एम.पी.** | क्लस्टर में कुल 5 खदानें<br>प्रस्तावित सी.ई.एम.पी. कार्य के लिए 5 वर्ष की राशि – 42,23,000 रूपये है, जिसमें | परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि– 6,28,000 रूपये |

| | | |
|---|---|---|
| | से प्रस्तावित क्लस्टर की कुल 3 खदानों हेतु 5 वर्ष की राशि – 23,01,000 | |
| **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** | परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। | परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:–<br>1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।<br>2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।<br>3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।<br>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।<br>5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 20.964 हेक्टेयर है। |

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 66.21 | 2% | 1.33 | Following activities at Nearby, Village-Lohrakot | |
| | | | Plantation around village pond | 1.33 |
| | | | Total | 1.33 |

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 60 नग जिसमें से 10 नग वृक्ष पूर्व से तालाब के चारो ओर अवस्थित है। शेष 50 नग पौधों के लिए राशि 7,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 25,500 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 43,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 90,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लोहराकोट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 245, क्षेत्रफल 0.534 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के ज्ञापन दिनांक 21/11/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र में 55–60 मीटर की गहराई पर जल की उपलब्धता है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

**b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री मुकेश बंसल) को ग्राम–छितापंडरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के खसरा क्रमांक 30/5 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.036 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,50,537 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री मुकेश बंसल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

**8. मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर–श्री मनमोहन शर्मा), ग्राम–छितापंडरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1848)**

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | टी.ओ.आर. – 69827 एवं 07/12/2021<br>ई.सी. – 446645 एवं 05/10/2023 | फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट |
| खदान का प्रकार | डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान | प्रस्तावित |
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 4.068 हेक्टेयर एवं 1,50,672 टन प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | 30/4 एवं 30/5 (पार्ट) | |
| भू–स्वामित्व | मेसर्स गुरूश्री इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड फर्म के नाम पर है। | डॉयरेक्टर्स का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार श्री नानक बंसल, श्री मुकेश बंसल, श्री मनमोहन शर्मा एवं श्री संजय यादव डॉयरेक्टर है। |
| बैठक का विवरण | 501वीं बैठक दिनांक 12/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री निर्मल अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार – डॉ. देव नारायण, मेसर्स अल्ट्रा–टेक इन्व्हायरोमेन्टल कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) उपस्थित हुये।<br>अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। |
| पूर्व में जारी ई.सी. | इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। | |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत – छितापंडरिया<br>दिनांक 26/03/2022 | |
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 02/12/2021 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 मीटर** | दिनांक 07/12/2021 | कुल 4 खदानें, रकबा 16.896 हेक्टेयर है। |
| **200 मीटर** | दिनांक 18/08/2022 | नहर – 20 मीटर |
| **एल.ओ.आई.** | एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड<br>दिनांक – 02/09/2021 | वैधता अवधि – "उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें" का उल्लेख है। |
| **वन विभाग एन.ओ.सी.** | वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 21/02/2022 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। | प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान की वन क्षेत्र से दर्शित दूरी – 980 मीटर |
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी ग्राम–छितापंडरिया 600 मीटर<br>स्कूल ग्राम–दर्राभाठा 1.7 कि.मी.<br>अस्पताल – बारद्वार 7.3 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. | सोन नदी – 5.5 कि.मी.<br>तालाब – 170 मीटर<br>मौसमी नाला – 1.5 कि.मी.<br>नहर – 20 मीटर |
| **पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि–ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिर्जव्स –**<br>जियोलॉजिकल 25,18,595 टन<br>माईनेबल 10,30,434 टन<br>रिकव्हरेबल 9,78,912 टन<br>प्रस्तावित गहराई 30 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 5 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 5 मीटर<br>संभावित आयु 7 वर्ष<br>क्रशर प्रस्तावित नहीं है। | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>प्रथम 1,50,266 टन<br>द्वितीय 1,50,537 टन<br>तृतीय 1,50,672 टन<br>चतुर्थ 1,50,063 टन<br>पंचम 1,50,469 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,915 वर्गमीटर | उत्खनित – नहीं |
| **गैर माईनिंग** | नहर से खदान की 50 मीटर की दूरी छोड़ते हुये क्षेत्रफल – 8,250 वर्गमीटर को गैर माईनिंग एवं संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 2,265 वर्गमीटर को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। | माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ |
| **ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन** | ऊपरी मिट्टी मोटाई – 0.25 मीटर<br>मात्रा – 6,629 घनमीटर | ओव्हर बर्डन की मोटाई – 2.5 मीटर<br>मात्रा – 66,281 घनमीटर |

| | | |
|---|---|---|
| **योजना** | **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –**<br>3,199 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।<br>शेष 3,430 घनमीटर – लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र (क्षेत्रफल 0.3782 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित। | **ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना –**<br>ओव्हर बर्डन का उपयोग रैम्प, हॉल रोड़ निर्माण आदि कार्यों में किया जाएगा, तत्पश्चात् शेष ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 7 घनमीटर प्रतिदिन<br>स्त्रोत – माईन पीट एवं बोरवेल<br>सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है। | खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,818 नग किया जाना है। | प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,78,175 रूपये |
| **जारी टी.ओ.आर.** | क्रमांक 981, दिनांक 19/09/2022 | 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) |
| **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** | मॉनिटरिंग– 10 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2022<br>गुणवत्ता मापन स्थलः<br>परिवेशीय वायु – 12<br>भू–जल – 06<br>सतही जल – 06<br>ध्वनि स्तर – 11<br>मिट्टी के नमूने – 11<br>$PM_{2.5}$ – 10 से 26 **$\mu g/m^3$**<br>$PM_{10}$ – 48 से 66 **$\mu g/m^3$**<br>$SO_2$ – 05 से 12 **$\mu g/m^3$**<br>$NO_2$ – 9 से 17 **$\mu g/m^3$**<br>**Noise level - dB (A)**<br>Day $L_{eq}$ – 47.30 से 54.30 **dB(A)**<br>Night $L_{eq}$ – 38.30 से 43.10 **dB(A)** | मॉनिटरिंग हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है।<br>गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है। |
| **पी.सी.यू. की गणना** | **बाराद्वार–चांपा मार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 256.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.17<br>परियोजना उपरांत 379.7 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.25<br><br>**हॉल रोड–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 51.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.206<br>परियोजना उपरांत 147.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.59 | **चांपा–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता B (Very Good) श्रैणी का है।<br><br>**हॉल रोड–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता C (Good) श्रैणी का है। |

| | | |
|---|---|---|
| **जी.एल.सी. की गणना** | $PM_{10}$ का अधिकतम मान 83.01 $\mu g/m^3$, $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान 36.82 $\mu g/m^3$, $SO_2$ का अधिकतम मान 12.90 $\mu g/m^3$ एवं $NO_2$ का अधिकतम मान 19.19 $\mu g/m^3$ है। | निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है। |
| **लोक सुनवाई** | दिनांक 30/06/2023<br>समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे<br>स्थान – खेल मैदान छितापड़रिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती | लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। |
| **लोक सुनवाई** | **मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**<br>i. ग्राम वासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।<br>ii. भूमिगत जल, वाटर लेवल नीचे चला गया है। पेयजल की गंभीर समस्या का सामाना करना पड़ रहा है।<br>iii. माइंस में हैवी ब्लास्टिंग होने से घरो में दरारें आ रही हैं।<br>iv. क्षेत्र में धूल के गुब्बार उठ रहें है एवं दुर्घटनाएं हो रही है। | **निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–**<br>i. छ.ग. शासन की आदर्श पुर्नवास एवं रोजगार नीति के तहत् योग्यता व अनुभव के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।<br>ii. खदान का संचालन भू–जल स्तर के उपर प्रस्तावित है, अतः भू–जल पर प्रभाव नगण्य होगा।<br>iii. डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से नियत्रिंत ब्लास्टिंग कराया जाएगा।<br>iv. हमारे खदान में फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन वाले स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़को का उचित रख–रखाव, दुर्घटनाओं को कम करने हेतु प्रशिक्षित चालक रखें जायेंगें। |
| **सी.ई.एम.पी.** | क्लस्टर में कुल 5 खदानें<br>प्रस्तावित सी.ई.एम.पी. कार्य के लिए 5 वर्ष की राशि – 42,23,000 रूपये है, जिसमें से प्रस्तावित क्लस्टर की कुल 3 खदानों हेतु 5 वर्ष की राशि – 23,01,000 | परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि– 8,29,000 रूपये |
| **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** | परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी | परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:–<br>1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी |

| | | |
|---|---|---|
| | आश्वासन, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। | हमारी रहेगी।<br>2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।<br>3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।<br>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।<br>5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 20.964 हेक्टेयर है। |

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Particulars** | **CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)** |
| 83.00 | 2% | 1.66 | Following activities at Nearby, **Village-Chhitapandariya** | |
| | | | Plantation around village pond | 1.66 |
| | | | **Total** | **1.66** |

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम एवं जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 90 नग जिसमें से 5 नग वृक्ष पूर्व से तालाब कें चारो ओर अवस्थित है। शेष 85 नग पौधों के लिए राशि 12,750 रूपये,

फेंसिंग के लिए राशि 12,750 रूपये, खाद के लिए राशि 4,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 35,250 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 65,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,01,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत छितापंड़रिया के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 20, क्षेत्रफल 1.056 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के ज्ञापन दिनांक 21/11/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र में 55–60 मीटर की गहराई पर जल की उपलब्धता है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   **b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री

मनमोहन शर्मा) को ग्राम–छितापंडरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के खसरा क्रमांक 30/4 एवं 30/5 (पार्ट) में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.068 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,50,672 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री मनमोहन शर्मा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

9. **मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर–श्री मनमोहन शर्मा), ग्राम–छितापंडरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1854)**

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| **ऑनलाईन आवेदन** | टी.ओ.आर. – 69941 एवं 09/12/2021<br>ई.सी. – 446674 एवं 05/10/2023 | फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट |
| **खदान का प्रकार** | डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान | प्रस्तावित |
| **क्षेत्रफल एवं क्षमता** | 4.162 हेक्टेयर एवं 2,50,647 टन प्रतिवर्ष | |
| **खसरा क्रमांक** | 5/2 एवं 5/20 (पार्ट) | |
| **भू–स्वामित्व** | निजी भूमि<br>श्री रघुवीर सिंह | सहमति पत्र प्राप्त |
| **बैठक का विवरण** | 501वीं बैठक दिनांक 12/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| **प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि** | | श्री निर्मल अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार – डॉ. देव नारायण, मेसर्स अल्ट्रा–टेक इन्व्हायरोमेन्टल कंसल्टेंसी एण्ड लेबोरेटरी, थाने (पश्चिम) उपस्थित हुये।<br>अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। |
| **पूर्व में जारी ई.सी.** | इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। | |
| **ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.** | ग्राम पंचायत – छितापंडरिया<br>दिनांक 18/08/2012 | |
| **उत्खनन योजना अनुमोदन** | दिनांक 08/12/2021 | |
| **500 मीटर** | दिनांक 07/12/2021 | 4 खदानें, रकबा 16.802 हेक्टेयर है। |
| **200 मीटर** | दिनांक 18/08/2022 | नहर – 05 मीटर |
| **एल.ओ.आई.** | एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड<br>दिनांक – 16/07/2020<br>रकबा – 4.854 हेक्टेयर<br>संशोधित एल.ओ.आई. दिनांक – 08/09/2021<br>रकबा – 4.162 हेक्टेयर | वैधता अवधि – "उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें" का उल्लेख है। |
| **वन विभाग एन.ओ.सी.** | दिनांक 04/08/2022 | वन क्षेत्र से दूरी – 302.37 मीटर |
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी ग्राम–छितापंडरिया 450 मीटर<br>स्कूल ग्राम–दर्राभाठा 1.8 कि.मी.<br>अस्पताल–बारद्वार 7.4 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग 6.4 कि.मी. | सोन नदी – 5.5 कि.मी.<br>बोरई नदी – 7.7 कि.मी.<br>मौसमी नाला – 1.1 कि.मी.<br>तालाब – 500 मीटर<br>नहर – 05 मीटर |

| | | |
|---|---|---|
| **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड<br>ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ<br>**रिजर्व** –<br>जियोलॉजिकल 24,36,853 टन<br>माईनेबल 14,43,524 टन<br>रिकव्हरेबल 13,71,348 टन<br>प्रस्तावित गहराई 30 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 5 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 5 मीटर<br>संभावित आयु 6 वर्ष<br>क्रशर प्रस्तावित नहीं है। | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>प्रथम 2,50,038 टन<br>द्वितीय 2,50,444 टन<br>तृतीय 2,50,241 टन<br>चतुर्थ 2,50,105 टन<br>पंचम 2,50,647 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,570 वर्गमीटर | उत्खनित – नहीं |
| **गैर माईनिंग** | क्षेत्रफल – 10,300 वर्गमीटर<br>क्षेत्र छोड़ने का कारण – नहर से 05 मीटर दूर होने के कारण कुल 50 मीटर की दूरी तक को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। | माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ |
| **ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | ऊपरी मिट्टी मोटाई – 2.7 मीटर<br>मात्रा – 78,671 घनमीटर | **ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना –**<br>2,091 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग।<br>शेष 5,355 घनमीटर – लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र (क्षेत्रफल 0.6325 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित।<br>अतिरिक्त 71,225 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 22/1, 22/6, 22/9, 22/23, 24/2, 25/7, 25/17, 25/22, 25/30 एवं 25/39, क्षेत्रफल 2.496 हेक्टेयर) में संरक्षित किया जायेगा। |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 6 घनमीटर प्रतिदिन<br>स्त्रोत – माईन पीट एवं बोरवेल<br>सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है। | खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल |

| | | |
|---|---|---|
| | | से किया जाना है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,185 नग किया जाना है। | प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,72,500 रूपये |
| **जारी टी.ओ.आर.** | क्रमांक 1157, दिनांक 19/10/2022 | 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) |
| **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** | मॉनिटरिंग– 10 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2022<br>गुणवत्ता मापन स्थलः<br>परिवेशीय वायु – 12<br>भू–जल – 06<br>सतही जल – 06<br>ध्वनि स्तर – 11<br>मिट्टी के नमूने – 11<br>$PM_{2.5}$ – 10 से 26 **μg/m³**<br>$PM_{10}$ – 48 से 66 **μg/m³**<br>$SO_2$ – 05 से 12 **μg/m³**<br>$NO_2$ – 9 से 17 **μg/m³**<br>**Noise level - dB (A)**<br>Day $L_{eq}$ – 47.30 से 54.30 **dB(A)**<br>Night $L_{eq}$ – 38.30 से 43.10 **dB(A)** | मॉनिटरिंग हेतु पंचनामा एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है। |
| **पी.सी.यू. की गणना** | **बाराद्वार–चांपा मार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 256.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.17<br>परियोजना उपरांत 379.7 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.25<br>**हॉल रोड–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>वर्तमान में 51.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.206<br>परियोजना उपरांत 147.5 पी.सी.यू./घंटा<br>व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.59 | **चांपा–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता B (Very Good) श्रैणी का है।<br><br>**हॉल रोड–बाराद्वार मार्ग हेतु –**<br>लोड कैरिंग क्षमता C (Good) श्रैणी का है। |
| **जी.एल.सी. की गणना** | $PM_{10}$ का अधिकतम मान 83.01 μg/m³, $PM_{2.5}$ का अधिकतम मान 36.82 μg/m³, $SO_2$ का अधिकतम मान 12.90 μg/m³ एवं $NO_2$ का अधिकतम मान 19.19 μg/m³ है। | निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है। |
| **लोक सुनवाई** | दिनांक 30/06/2023<br>समय – पूर्वान्ह 11:00 बजे<br>स्थान – खेल मैदान छितापड़रिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती | लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/08/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। |
| **लोक सुनवाई** | **मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**<br>i. ग्राम वासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। | **निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–**<br>i. छ.ग. शासन की आर्दश पुर्नवास एवं रोजगार नीति के तहत |

| | | |
|---|---|---|
| | ii. भूमिगत जल, वाटर लेवल नीचे चला गया है। पेयजल की गंभीर समस्या का सामाना करना पड़ रहा है।<br>iii. माइंस में हैवी ब्लास्टिंग होने से घरो में दरारें आ रही हैं।<br>iv. क्षेत्र में धूल के गुब्बार उठ रहें है एवं दुर्घटनाएं हो रही है। | योग्यता व अनुभव के आधार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।<br>ii. खदान का संचालन भू–जल स्तर के उपर प्रस्तावित है, अतः भू–जल पर प्रभाव नगण्य होगा।<br>iii. डी.जी.एम.एस. से पंजीकृत ब्लास्टर द्वारा वैज्ञानिक विधि से नियत्रिंत ब्लास्टिंग कराया जाएगा।<br>iv. हमारे खदान में फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन वाले स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था, सड़को का उचित रख–रखाव, दुर्घटनाओं को कम करने हेतु प्रशिक्षित चालक रखें जायेंगें। |
| **सी.ई.एम.पी.** | क्लस्टर में कुल 5 खदानें<br>प्रस्तावित सी.ई.एम.पी. कार्य के लिए 5 वर्ष की राशि – 42,23,000 रूपये है, जिसमें से प्रस्तावित क्लस्टर की कुल 3 खदानों हेतु 5 वर्ष की राशि – 23,01,000 | परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि– 8,44,000 रूपये |
| **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** | परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं संबंधी आश्वासन, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन, क्लस्टर हेतु पर्यावरण समिति का गठन कर एक पर्यावरणविद् की नियुक्ति आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। | परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैः–<br>1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी।<br>2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।<br>3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।<br>4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक |

| | | |
|---|---|---|
| | | 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।<br>5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 20.964 हेक्टेयर है। |

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Particulars** | **CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)** |
| 89.5 | 2% | 1.79 | Following activities at Nearby, **Village-Baradwar** | |
| | | | Plantation around village pond | 1.83 |
| | | | **Total** | **1.83** |

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 110 नग जिसमें से 4 नग वृक्ष पूर्व से तालाब के चारो ओर अवस्थित है। शेष 106 नग पौधों के लिए राशि 15,900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,900 रूपये, खाद के लिए राशि 5,300 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 29,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 66,100 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,17,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बाराद्वारा बस्ती के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 2373, क्षेत्रफल 2.144 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के ज्ञापन दिनांक 21/11/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र में 55–60 मीटर की गहराई पर जल की उपलब्धता है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं

जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

**a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

**b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की प्रजातिवार संख्या की जानकारी एवं आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही पातन की कार्यवाही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री मनमोहन शर्मा) को ग्राम–छितापंडरिया, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती के खसरा क्रमांक 5/2 एवं 5/20 (पार्ट) में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.162 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–2,50,647 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 16/02/2024 को लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की प्रजातिवार संख्या की

जानकारी एवं आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही पातन की कार्यवाही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की प्रजातिवार संख्या की जानकारी के संबंध में कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./601 चांपा/दिनांक 18/01/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार आवेदित स्थल में मिश्रित प्रजाति के 55 पेड़ पौधे अवस्थित है।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (छितापंडरिया डोलोमाईट क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री मनमोहन शर्मा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

**10. मेसर्स लालवानी ब्रिक अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री सुनील लालवानी), ग्राम–पिरैया, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2685)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| ऑनलाईन आवेदन | ई.सी. – 447010 एवं 06/10/2023 | |
| खदान का प्रकार | मिट्टी (गौण खनिज) खदान | संचालित |
| क्षेत्रफल एवं क्षमता | 1.574 हेक्टेयर एवं 2,114.25 घनमीटर प्रतिवर्ष | |
| खसरा क्रमांक | 487, 488, 489/1, 492 एवं 493 | |
| बैठक का विवरण | 501वीं बैठक दिनांक 12/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन में मिट्टी (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता में त्रुटिवश 2,114.25 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख हो गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन को निरस्त/डि–लिस्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लेख की गई उत्पादन क्षमता में नजर चूक से 2,114.00 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर 2,114.25 घनमीटर प्रतिवर्ष अंकित हो गया है। इस त्रुटि को मूल आवेदन में सुधार किये जाने हेतु ए.डी.एस./ई.डी.एस. जारी किये जाने हेतु दिनांक 08/02/2024 को अनुरोध किया गया है। इस संबंध में प्राधिकरण का मत है कि परिवेश पोर्टल में मूल आवेदन में त्रुटि सुधार किये जाने हेतु

ए.डी.एस./ ई.डी.एस. की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः **प्रकरण को डि–लिस्ट** / निरस्त किया जाना उपयुक्त होगा।

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**11. मेसर्स श्री सांई फर्शी उद्योग (प्रो.– श्री अजय सिंह ठाकुर), ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2480)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431208/2023, दिनांक 28/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुढ़ेना, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक – 333/3, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,167.5 टन (867 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023:**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022.

In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| भू–स्वामित्व | खसरा क्रमांक 333/3 | शासकीय भूमि |
| बैठक का विवरण | 502 वीं बैठक दिनांक 13/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री अजय सिंह ठाकुर, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। |
| पूर्व में जारी ई.सी. | खदान का प्रकार – फर्शी पत्थर<br>खसरा क्रमांक – 333/3<br>क्षेत्रफल – 0.54 हेक्टेयर<br>क्षमता – 2,167.5 टन (867 घन मी.)/वर्ष<br>दिनांक –22/11/2016 | डी.ई.आई.ए.ए., जिला–महासमुंद |
| पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन | स्व–प्रमाणित – हाँ | निर्धारित शर्तानुसार ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित नदी किनारे 100 नग वृक्षारोपण किया गया था। वर्तमान में 60 नग वृक्ष जीवित है, जिसके फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। |
| विगत वर्षो में किये गये उत्खनन | जारी दिनांक 19/05/2023 | <table><tr><th>अवधि</th><th>उत्पादन (घनमी)</th></tr><tr><td>01/07/2016 से 31/12/2016</td><td>132</td></tr><tr><td>2017</td><td>280</td></tr><tr><td>2018</td><td>682</td></tr><tr><td>2019</td><td>1095</td></tr><tr><td>2020</td><td>397</td></tr><tr><td>01/01/2021 से 30/09/2021</td><td>312</td></tr><tr><td>01/10/2021 से 30/09/2022</td><td>640</td></tr><tr><td>01/10/2022 से 31/03/2023</td><td>450</td></tr></table> |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत मुढ़ेना<br>दिनांक 17/09/2002 व 22/08/2017 | |
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 22/01/2016 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 मीटर** | दिनांक 19/05/2023 | कुल 24 खदानें, रकबा 17.29 हेक्टेयर है। |
| **200 मीटर** | दिनांक 19/05/2023 | प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। |
| **लीज डीड** | लीज धारक – श्री अजय सिंह ठाकुर<br>अवधि–23/02/2004 से 22/02/2034 | |
| **वन विभाग एन.ओ.सी.** | वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुन्द द्वारा जारी दिनांक 24/03/2015 | वन क्षेत्र से दूरी – 13 कि.मी. |
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी ग्राम–मुढ़ेना 450 मीटर<br>स्कूल ग्राम–मुढ़ेना 450 मीटर<br>राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. | महानदी 300 मीटर |
| **पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैन्युअल ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – नहीं<br>**रिजर्व –**<br>जियोलॉजिकल 75,358 टन<br>माईनेबल 22,877 टन<br>रिकव्हरेबल 17,157 टन<br>प्रस्तावित गहराई 10 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर<br>संभावित आयु 10 वर्ष<br>क्रशर स्थापित – नहीं | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>प्रथम 2,047.50 टन<br>द्वितीय 2,070.00 टन<br>तृतीय 2,130.00 टन<br>चतुर्थ 2,145.00 टन<br>पंचम 2,167.50 टन<br>षष्ठम 2,250.00 टन<br>सप्तम 2,381.25 टन<br>अष्टम 2,467.50 टन<br>नवम 2,553.75 टन<br>दशम 2,811.25 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 1,768 वर्गमीटर | उत्खनित – हाँ<br>माईनिंग प्लान में उल्लेख– नहीं |
| **ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | वर्तमान में ऊपरी मिट्टी नहीं है। | |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 5 घनमीटर प्रतिदिन<br>स्त्रोत – बोरवेल एवं टैंकर | सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 100 नग किया जाना है। | |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 17.83 हेक्टेयर है। |

1. **समिति द्वारा पाया गया कि खनिज विभाग से प्राप्त उत्पादन आंकडों में वर्ष 2019 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्पादन क्षमता से अधिक उत्खनन किये जाने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है।** भारत सरकार,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है। तदानुसार जानकारी ई.आई.ए. के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है, उक्त के संबंध में दिनांक 11/12/2023 को सूचना दी गई।

3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   **"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."**

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   **a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.**

   **b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.**

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक,

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the production detail of year 2021, 2022 and 2023 from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vi. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

xvi. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xvii. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xviii. Project proponent shall submit the details of annual turn over (year wise) for last three years.

xix. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xx. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xxi. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxii. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal

mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 के पालनार्थ प्रकरण लंबित रखा जाता है।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**12. मेसर्स जिस्को इंटरप्राईजेस (कलकसा लाईम स्टोन माईन, पार्टनर– श्री भरत रूंगटा), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2483)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430265/ 2023, दिनांक 29/05/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को प्राप्त हुई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई स्थित खसरा क्रमांक 229/2, 230/2, 231/2 एवं 232, कुल क्षेत्रफल–1.255 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023:**

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| भू–स्वामित्व | भूमि जिस्को इंटरप्राईजेस, पार्टनर– श्री भरत रूंगटा के नाम पर है। | पार्टनर डीड की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार श्री भरत रूंगटा, श्रीमती किरण देवी रूंगटा, श्रीमती विभा रूंगटा एवं श्री साकार रूंगटा पार्टनर है। |
| बैठक का विवरण | 502 वीं बैठक दिनांक 13/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | श्री भरत रूंगटा, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। |
| पूर्व में जारी ई.सी. | खदान का प्रकार – चूना पत्थर<br>खसरा क्रमांक – 229/2, 230/2, 231/2 एवं 232<br>क्षेत्रफल – 1.255 हेक्टेयर<br>क्षमता –40,000 टन प्रतिवर्ष<br>दिनांक – 29/01/2018<br>अवधि – 31/03/2020 तक | डी.ई.आई.ए.ए., जिला–राजनांदगांव |
| पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन | स्व–प्रमाणित – हाँ | पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। |

**विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी दिनांक 12/12/2023**

| वर्ष | उत्पादन (टन) | वर्ष | उत्पादन (टन) |
|---|---|---|---|
| अप्रैल, 2019 | 2,500 | अक्टूबर, 2020 | निरंक |
| मई, 2019 | 4,000 | नवम्बर 2020 | |
| जून, 2019 | 1,500 | दिसम्बर 2020 | 2,500 |
| जुलाई, 2019 | 1,000 | जनवरी, 2021 | 8,000 |
| अगस्त, 2019 | निरंक | फरवरी, 2021 | 8,000 |
| सितम्बर, 2019 | | मार्च, 2021 | 6,000 |
| अक्टूबर, 2019 | | अप्रैल, 2021 | निरंक |
| नवम्बर, 2019 | 311 | मई, 2021 | |
| दिसम्बर, 2019 | 2,500 | जून, 2021 | 3,000 |
| जनवरी, 2020 | 1,000 | जुलाई, 2021 | 10,000 |
| फरवरी, 2020 | 1,000 | अगस्त, 2021 | 5,000 |
| मार्च, 2020 | 3,000 | सितम्बर, 2021 | 3,000 |
| अप्रैल, 2020 | निरंक | अक्टूबर, 2021 | 2,000 |
| मई, 2020 | 3,000 | नवम्बर, 2021 | 2,000 |
| जून, 2020 | 3,000 | दिसम्बर, 2021 | 2,000 |
| जुलाई, 2020 | निरंक | जनवरी, 2022 | 500 |
| अगस्त, 2020 | | फरवरी, 2022 | 1,160 |
| सितम्बर, 2020 | | मार्च, 2022 | 1,000 |

| | | |
|---|---|---|
| **ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.** | ग्राम पंचायत – बल्देवपुर<br>दिनांक 31/07/2007 | |
| **उत्खनन योजना अनुमोदन** | दिनांक – 13/01/2023 | |
| **500 मीटर** | दिनांक 12/12/2023 | 12 खदानें, रकबा 11.781 हेक्टेयर |
| **200 मीटर** | दिनांक 25/06/2021 | बांध 72 मीटर दूर है। |
| **लीज डीड** | वर्तमान लीज धारक – जिस्को इंटरप्राईजेस, पार्टनर– श्री भरत रूंगटा<br>पूर्व में लीज धारक – श्री अनुप गटागट<br>अवधि–16/10/2007 से 15/10/2037 | लीज हस्तातंरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। |
| **वन विभाग एन.ओ.सी.** | वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ वनमण्डल, खैरागढ़ द्वारा जारी दिनांक 07/08/2007 | वन क्षेत्र से दूरी – 6.5 कि.मी |
| **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** | आबादी– कलकसा 220 मीटर<br>स्कूल– बल्देवपुर 2 कि.मी<br>अस्पताल– बल्देवपुर 2 कि.मी<br>राष्ट्रीय राजमार्ग –29 कि.मी.<br>राज्यमार्ग– 2.6 कि.मी. | तालाब– 2 कि.मी.<br>मौसमी नाला–1.1 कि.मी. |
| **पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड<br>ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हां<br>**रिजर्व –**<br>जियोलॉजिकल 8,47,125 टन<br>माईनेबल 2,74,297 टन<br>रिकव्हरेबल 1,47,422 टन<br>प्रस्तावित गहराई 28 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 3 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 3 मीटर<br>संभावित आयु 5 वर्ष<br>क्रशर स्थापित – नहीं | वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन<br>प्रथम 25,000 टन<br>द्वितीय 30,000 टन<br>तृतीय 40,000 टन<br>चतुर्थ 30,000 टन<br>पंचम 20,000 टन |
| **उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र** | लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,833 वर्गमीटर | उत्खनित – हाँ (405 वर्गमीटर, 6 मीटर गहराई एवं 465 वर्गमीटर, 3 मीटर की गहराई तक)<br>रेस्टोरेशन प्लान – हाँ<br>माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ |
| **ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना** | मोटाई – 1 मीटर | ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। |

| | | |
|---|---|---|
| जल आपूर्ति | मात्रा – 8 घनमीटर प्रतिदिन<br>स्त्रोत – भू–जल | सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी एन.ओ.सी. प्राप्त है। |
| वृक्षारोपण कार्य | लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 950 नग किया जाना है। | प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 3,84,000 रूपये |
| श्रेणी | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 13.036 हेक्टेयर है। |

1. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त ओ.एम. के तहत् पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन **किये जाने के कारण प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है।** भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है। तदानुसार जानकारी ई.आई.ए. के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

   **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   iii. According to the conditions of environmental approval issued earlier, it is necessary to present the information along with photographs by mentioning the numbering and name of the plant in the saplings planted as per the prescribed conditions.

   iv. Project proponent shall submit the lease transfer document.

   v. Project proponent shall clarify safe distance from lease area to Dam.

   vi. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   ix. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

xix. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.

xx. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

xxi. Project proponent shall submit the details of annual turn over (year wise) for last three years.

xxii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

xxiii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

xxiv. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xxv. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 द्वारा निम्न आदेश जारी किया गया है:–

"Stay of operation of the Office Memoranda dated 7th July, 2021 and 28th January 2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change."

**प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (एस) (सिविल) नम्बर (एस) 1394/2023 दिनांक 02/01/2024 के पालनार्थ प्रकरण लंबित रखा जाता है।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**13. मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स (हिर्री डोलोमाईट माईन, प्रो.–श्री द्वरिका प्रसाद गुप्ता), ग्राम–हिर्री, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2500)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 431897/2023, दिनांक 01/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हिर्री, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 62/1, कुल क्षेत्रफल–1.781 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 479वीं बैठक दिनांक 28/07/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/12/2023 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि आवेदन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**14. मेसर्स हड़हा ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्रीमती शशि मधुकर), ग्राम–हड़हा, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2576)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 435091/ 2023, दिनांक 12/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट इकाई है। खदान ग्राम–हड़हा, तहसील–पामगढ़,

जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 467–474, 475/1, 2, 479/1, 2, 3, 4, 5, 480–483, 484/1, 2 एवं 488/1, कुल क्षेत्रफल–3.695 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,600 घनमीटर (32,20,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 488वीं बैठक दिनांक 25/09/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/09/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

**(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023:**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

| विषय वस्तु | आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण | समिति द्वारा नोट किया गया कि |
|---|---|---|
| भू–स्वामित्व | खसरा क्रमांक 467–474, 475/1, 2, 479/1, 2, 3, 4, 5, 480, 481, 483, 484/1, 2 व 488/1 श्री नंदकुमार मधुकर एवं खसरा क्रमांक 482 श्री संदीप, श्री शिवेंद्र, सुश्री सारिका एवं सुश्री निक्की के नाम पर है। | भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। |
| बैठक का विवरण | 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023 | प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023 |
| प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि | | नंदकुमार मधुकर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। |

| | | |
|---|---|---|
| | | अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति प्रस्तुत किया गया है। |
| पूर्व में जारी ई.सी. | खदान का प्रकार – मिट्टी<br>खसरा क्रमांक – 467–474, 475/1, 2, 479/1, 2, 3, 4, 5, 480–483, 484/1, 2 एवं 488/1<br>क्षेत्रफल – 3.695 हेक्टेयर<br>क्षमता – 4,600 घनमीटर प्रतिवर्ष<br>दिनांक – 18/10/2018 | डी.ई.आई.ए.ए.,<br>जिला–जांजगीर–चांपा |
| पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन | स्व–प्रमाणित – हाँ | वृक्षारोपण – पूर्व में किये गये 100 नग पौधों को नंबरिंग कर फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये है। |
| विगत वर्षो में किये गये उत्खनन | दिनांक 20/10/2023<br>वर्ष 2018–19 में 2,250 घनमीटर<br>वर्ष 2019–20 में 1,920 घनमीटर<br>वर्ष 2020–21 में 1,580 घनमीटर<br>वर्ष 2021–22 में 640 घनमीटर<br>वर्ष 2022–23 में 1,160 घनमीटर | समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। |
| ग्राम पंचायत एन.ओ.सी. | ग्राम पंचायत पड़रिया<br>दिनांक 18/07/2010 | |
| उत्खनन योजना अनुमोदन | दिनांक 26/02/2018 | |
| 500 मीटर | दिनांक 23/05/2023 | कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.976 हेक्टेयर है। |
| 200 मीटर | दिनांक 23/05/2023 | महानदी – 100 मीटर |
| लीज डीड | लीज धारक – श्रीमती शशी मधुकर<br>अवधि–01/08/2011 से 31/07/2041 | |
| वन विभाग एन.ओ.सी. | वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल द्वारा जारी दिनांक 27/07/2023 | वन क्षेत्र से दूरी – 3.41 कि.मी |
| महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी | आबादी – नवागांव 650 मीटर<br>स्कूल – तनौद 2.6 कि.मी.<br>अस्पताल – शिवरीनारायण 7.7 कि.मी.<br>राष्ट्रीय राजमार्ग – 7 कि.मी.<br>राज्यमार्ग – 4.2 कि.मी. | महानदी – 100 मीटर<br>नाला – 270 मीटर<br>तालाब – 810 मीटर<br>नहर – 1.55 कि.मी.<br>बांध – 23 कि.मी. |
| पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र | 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। | |

| | | |
|---|---|---|
| **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** | उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल<br>**पूर्व में रिजर्व –**<br>जियोलॉजिकल 41,226 घनमीटर<br>माईनेबल 38,949 घनमीटर<br>**वर्तमान में रिजर्व**<br>जियोलॉजिकल 33,676 घनमीटर<br>माईनेबल 31,399 घनमीटर<br>प्रस्तावित गहराई 1.5 मीटर<br>बेंच की ऊंचाई 0.5 मीटर<br>बेंच की चौड़ाई 0.5 मीटर<br>संभावित आयु 10 वर्ष<br>1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 11,166 वर्गमीटर<br>मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 40%<br>एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 12 टन | वर्षवार **प्रस्तावित** उत्खनन<br>प्रथम 3,308.35 घनमीटर<br>द्वितीय 3,895.00 घनमीटर<br>तृतीय 3,895.00 घनमीटर<br>चतुर्थ 3,895.00 घनमीटर<br>पंचम 3,895.00 घनमीटर<br>षष्टम् 4,600.00 घनमीटर<br>सप्तम् 4,600.00 घनमीटर<br>अष्टम् 4,600.00 घनमीटर<br>नवम् 4,600.00 घनमीटर<br>दशम् 4,600.00 घनमीटर |
| **लीज क्षेत्र के भीतर भठ्ठा स्थापित** | हां, क्षेत्रफल–3,538 वर्गमीटर<br>फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई–33 मीटर | |
| **जल आपूर्ति** | मात्रा – 7.5 घनमीटर<br>स्त्रोत – बोरवेल | सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है। |
| **वृक्षारोपण कार्य** | लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 500 नग किया जाना है। | |
| **श्रेणी** | बी–1 | आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 6.671 हेक्टेयर है। |

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 05 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ किया गया।

2. प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. फाईल से देखने पर चिमनी का कुछ भाग लीज क्षेत्र के बाहर प्रदर्शित हो रहा है। समिति का मत है कि चिमनी को लीज क्षेत्र के भीतर करते हुये, उपरोक्तानुसार सर्फेस जियोलॉजिकल प्लान को खनिज विभाग से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   **a)** Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   **b)** If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई. ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the previous year production detail from April 2023 to till date from the mining department.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. During the presentation, the lease area was given to K.M.L. As seen from the file, some part of the chimney is visible outside the lease area. The committee is of the opinion that while placing the chimney within the lease area, it is necessary to get the surface geological plan approved by the Mining Department and submitted as above.

v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of

minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the DPR of CER proposals (preferably pavitra van) with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

**15. मेसर्स जोगीपाली सेण्ड क्वॉरी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत जोगीपाली), ग्राम–जोगीपाली, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2565)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 435890/2023, दिनांक 08/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जोगीपाली, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 427/1, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हसदेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वीर सिंह बिंझवार, सरपंच उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जोगीपाली(क) का दिनांक 25/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईन प्लान विथ सेण्ड रिप्लेनिशमेंट एण्ड इंन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1057/खनिज/उ.या.अ./2023–24 कोरबा, दिनांक 29/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/खलि–/2023/1052 कोरबा, दिनांक 29/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/खलि–/2023/1052 कोरबा, दिनांक 29/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत जोगीपाली के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1017/खलि–2/2023 कोरबा, दिनांक 23/05/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "साधारण रेत हेतु उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तो के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वन मण्डल, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अ./2875 कोरबा, दिनांक 21/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टोला 200 मीटर, स्कूल एवं अस्पताल बरपाली 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.3 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 6 कि.मी. दूर है। तालाब 580 मीटर एवं नाला 880 मीटर दूर है। रोड ब्रिज 1 कि.मी. एवं रेल ब्रिज 6.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 924 मीटर, न्यूनतम 895 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 297.5 मीटर, न्यूनतम 294.3 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 169.4 मीटर, न्यूनतम 168.6 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.50 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा– 75,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.42 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 924 मीटर, न्यूनतम 895 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 38.25 | 2% | 0.765 | Following activities at nearby | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 0.765 |
| | | | **Total** | **0.765** |

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, नीम, पीपल, जामुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 9,000 रूपये, इस

प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जोगीपाली(क) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 427 क्षेत्रफल, 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 850 नग एवं पहुंच मार्ग में 400 नग (कुल 1,250 नग) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:–

| विवरण | | प्रथम वर्ष (रूपये) | द्वितीय वर्ष (रूपये) | तृतीय वर्ष (रूपये) | चतुर्थ वर्ष (रूपये) | पंचम वर्ष (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (1,250 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 37,500 | 3,750 | 375 | – | – |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 25,375 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 |
| **कुल राशि = 1,65,000** | | **82,875** | **23,750** | **20,375** | **19,000** | **19,000** |

19. समिति का मत है कि नदी तट एवं पहुंच मार्ग में किये जाने वाले वृक्षारोपण के भूमि (खसरा क्रमांक एवं रकबा) संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. नदी तट एवं पहुंच मार्ग में किये जाने वाले वृक्षारोपण के भूमि (खसरा क्रमांक एवं रकबा) संबंधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 09/11/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राम पंचायत जोगीपाली(क) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (नदी तट का खसरा क्रमांक 427/1, रकबा 0.5 हेक्टेयर एवं पहुंच मार्ग का खसरा क्रमांक 503 व 508, रकबा 0.273 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/1613/खनिज/उ.या.अ./2023–24 कोरबा, दिनांक 07/11/2023 द्वारा अनुमोदित है।

   नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 924 मीटर, न्यूनतम 895 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,500 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.25 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

3. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हसदेव नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

14. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

15. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

16. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–जोगीपाली) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स जोगीपाली सेण्ड क्वॉरी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत जोगीपाली), खसरा क्रमांक 427/1, ग्राम–जोगीपाली, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 7,500 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.25 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 38,250 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स जोगीपाली सेण्ड क्वॉरी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत जोगीपाली) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. **सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन निर्माण" में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स** सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–3** **टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कोमन लाल साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1709)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 63920/2021, दिनांक 16/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /306971/2023, दिनांक 06/12/2023 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 84/1, 2, 3, 4, 85 एवं 89/2, कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर 0.49 हेक्टेयर** करते हुये टी.ओ.आर. में संशोधन किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,140 टन (456 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 23/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ. आर. जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/09/2021 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर 0.49 हेक्टेयर** किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"टी.ओ.आर. हेतु आवेदन पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति, अनुमोदित खनन योजना एवं माईनिंग विभाग द्वारा जारी क्लस्टर प्रमाण पत्र के आधार पर 0.57 हेक्टेयर हेतु किया गया था। चूँकि लीज अनुबंध रकबा 0.49 हेक्टेयर में किया गया है, जिसके आधार पर पुनः खनन योजना को संशोधित कर अनुमोदित कराया गया है।"

अतः उक्त प्रकरण में पूर्व में जारी टी.ओ.आर. में रकबा 0.57 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.49 हेक्टेयर कर संशोधित टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही फार्म–03, अनुमोदित क्वारी प्लान, फार्म–01, प्री–फिसिबिलिटी, संशोधित 200 मीटर, संशोधित 500 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–4** **नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स यशोदा नंदन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–अछोली, उरला, तहसील व जिला–रायपुर**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी1/ 459217/2024, दिनांक 19/01/2024। मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II), को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स यशोदा नंदन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण –**

1. उद्योग ग्राम–अछोली, उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 40/10, 40/11 एवं 40/12, कुल क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर, माईल्ड स्टील बिलेट्स क्षमता– 59,760 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स– 56,772 टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 546, दिनांक 26/10/2017 द्वारा ग्राम–अछोली, उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 40/10, 40/11 एवं 40/12, कुल क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर, माईल्ड स्टील बिलेट्स क्षमता– 59,760 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स– 56,772 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II) के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा माईल्ड स्टील बिलेट्स क्षमता– 59,760 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स– 56,772 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 12/07/2022 को मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II) के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/03/2027 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स यशोदा नंदन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. मेसर्स यशोदा नंदन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों

का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II) एवं मेसर्स यशोदा नंदन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किये गये सेल एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II) एवं मेसर्स यशोदा नंदन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसॉल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार** – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेज के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स ग्रेविटी फेरस प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–II) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 546, दिनांक 26/10/2017 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स यशोदा नंदन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) निम्न शर्त के अधीन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया:–

"मेसर्स यशोदा नंदन इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी एक्ट 2013 के तहत् दस्तावेज प्राप्त कर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में नाम हस्तांतरण आवेदन के दौरान प्रस्तुत किया जाए।"

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

**(अरूण प्रसाद पी.)**
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

**(देबाशीष दास)**
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

**(डॉ. दीपक सिन्हा)**
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़